

उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई मेल:- ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

स: राज/भील/445/क्वार्ट्ज-फेल्सपार-246

अजमेर दिनांक 6/9/2013

प्रेषित श्री भगवान सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह
श्री भगवान मिनेरल्स
पंचायत समिति के पास,
निवासी आसीन्द, जिला-भीलवाड़ा-311301

विषय: राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले मे स्थित आपकी Pandru (303/2006) क्वार्ट्ज फेल्सपार खान 4.42 हेक्टर मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या...22RAJ06313)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29/8/2013 को आपके प्रतिनिधि श्री देवी सिंह की उपस्थिती मे उपरोक्त खान के निरीक्षण मे पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 संशोधित 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियमउल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा

- 15(1) & -Benches in waste and mineral feldspar are not made separate to avoid mixing of waste with mineral. Bench of 10m height and more than 10m height was noticed in mines during inspection .
28(5)(b) Benches in waste /overburden are not made separate and advanced sufficiently .
A key plan showing administrative boundary of lease area not maintained and Lease boundary pillar as per lease area description report are not found reerected on ground.
45(5)(a) Monthly return for the mines from April 2013 have not been submitted.
45(5)(b) Annual return of the Mines for the 2012-13 have not been submitted to the office of Regional Controller of Mines , Ajmer before 1st July 2013 in prescribed format inspite of issue of notice vide this office letter dated 3/7/2013
53 Attendance register, production and dispatch register, mineral analysis report , Copies of notices and returns, plan & sections of mines are not made available for inspection during the inspection of mine.

02. इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) and 45 (7)(1) के अंतर्गत (क) खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03.अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(बाबुलाल गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता,, भीलवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबुलाल गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक